प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनांक – 26.06.2026

क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर ठगी के शिकार पीड़ित को साइबर हेल्प हेस्क थाना दुधारा द्वारा 10,000 रुपये की धनराशि कराई गयी वापस

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित राहत दिलाने के क्रम में साइबर हेल्प डेस्क थाना दुधारा पुलिस द्वारा सतत प्रभावी कार्रवाई कार्यवाही करते हुए साइबर ठगी के शिकार पीड़ित को 10,000 रुपये की धनराशि उनके खाते में वापस कराई गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण- श्री विजय कुमार दुबे निवासी ग्राम सुम्हा थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर के माता जी के पास दिनाँक 20.04.2025 को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन स्वयं को रिश्तेदार बताते हुए हास्पिटल में भर्ती होने का हवाला देते हुए 10000 रुपये मंगा लिया गया पीड़ित को जानकारी होने पर उनके साथ साइबर फ्राड हो गया है साइबर सेल थाना दुधारा में शिकायत की गयी। साइबर हेल्प डेस्क पर तैनात आरक्षी ऋषिकेश यादव द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए शिकायत पंजीकृत की गयी। पुलिस की प्रभावी पैरवी से 10,000 रुपये की सम्पूर्ण धनराशि आवेदक के खाते में सफलतापूर्वक वापस करा दी गयी है।

बरामदगी टीम- थानाध्यक्ष श्री अमित कुशवाहा, साइबर सेल प्रभारी उ0नि0 श्री अनिल मिश्रा, का0 अनुज कुमार, का0 ऋषिकेश यादव, का0 हर्ष सिंह, म0का0 एकता सिंह।

जनता से अपील

01. जनपद पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गए लिंक, कॉल या संदेश पर अपनी बैंक जानकारी, ओटीपी, पासवर्ड या यूपीआई पिन साझा न करें।
02. कोई व्यक्ति फोन पर रिश्तेदार या दोस्त बनकर पैसों की मांग करे, तो बिना उसकी पहचान की पुष्टि (वीडियो कॉल या अन्य माध्यम से) किए पैसे न भेजें।
03. साइबर अपराधी अक्सर आवाज बदलकर या भावनात्मक दबाव बनाकर ठगी करते हैं।
04. किसी भी संदिग्ध लेनदेन की शिकायत तुरंत 1930 हेल्पलाइन नंबर अथवा cybercrime.gov.in पर दर्ज करें।

इस पर पीड़ित द्वारा थाना दुधारा पुलिस की भूरी भूरी प्रसंशा की गयी।

क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर ठगी के शिकार पीड़ित को साइबर हेल्प हेस्क थाना कोतवाली खलीलाबाद द्वारा 21,000 रुपये की धनराशि कराई गयी वापस

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित राहत दिलाने के क्रम में साइबर हेल्प डेस्क थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा सतत प्रभावी कार्रवाई कार्यवाही करते हुए साइबर ठगी के शिकार पीड़ित को 21,000 रुपये की धनराशि उनके खाते में वापस कराई गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण- श्री सच्चिदानन्द पाठक पुत्र श्री अम्रेश पाठक निवासी छपिया थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर हालमुकाम बीके फिलिंग स्टेशन रसूलाबाद मगहर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर ने दिनाँक 25.06.2026 को समय करीब 9 बजे सुबह अपने परिवार के सदस्य के बैंक खाते में ऑनलाइन माध्यम से धनराशि प्रेषित की जा रही थी, किन्तु अनजाने में तकनीकी/मानवीय त्रुटि के कारण धनराशि किसी अन्य व्यक्ति के बैंक खाते में स्थानांतरित हो गई। आवेदक द्वारा संबंधित व्यक्ति से संपर्क कर धनराशि वापस करने का अनुरोध किया गया, किन्तु उसके द्वारा राशि वापस नहीं की गई।उक्त प्रकरण के संबंध में आवेदक द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद के साइबर हेल्प डेस्क पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्राप्त होते ही साइबर हेल्प डेस्क, कोतवाली खलीलाबाद की टीम द्वारा तत्काल आवश्यक कार्यवाही करते हुए संबंधित बैंक एवं अन्य माध्यमों से समन्वय स्थापित किया गया। टीम के त्वरित एवं प्रभावी प्रयासों के फलस्वरूप मात्र 06 घंटे के भीतर आवेदक के बैंक खाते में 21,000 रुपये की धनराशि सफलतापूर्वक वापस करा दिया गया है।

बरामदगी टीम- प्रभारी निरीक्षक श्री जयप्रकाश दूबे, प्रभारी साइबर सेल श्री वीरेन्द्र कुमार यादव, का0 रविकान्त कुशवाहा, म0का0 शिवांगी सिंह, का0 अनुज शुक्ला,का0 ऋतिक वर्मा।

जनता से अपील

01. जनपद पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गए लिंक, कॉल या संदेश पर अपनी बैंक जानकारी, ओटीपी, पासवर्ड या यूपीआई पिन साझा न करें।
02. कोई व्यक्ति फोन पर रिश्तेदार या दोस्त बनकर पैसों की मांग करे, तो बिना उसकी पहचान की पुष्टि (वीडियो कॉल या अन्य माध्यम से) किए पैसे न भेजें।
03. साइबर अपराधी अक्सर आवाज बदलकर या भावनात्मक दबाव बनाकर ठगी करते हैं।
04. किसी भी संदिग्ध लेनदेन की शिकायत तुरंत 1930 हेल्पलाइन नंबर अथवा cybercrime.gov.in पर दर्ज करें।

इस पर पीड़ित द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस की भूरी भूरी प्रसंशा की गयी।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना महुली पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 6001 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल 01 महिला को पहुँचाया गया अस्पताल– पीआरवी 6001 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत डीघा बाईपास से कालर द्वारा बाईक से गिर जाने के कारण दुर्घटना में घायल 01 महिला (1.जहरूनिशा पत्नी शहबाज ग्राम वसीन थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना प्राप्त होते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घचना में घायल महिला को एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना को0 खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घायल महिला को एम्बुलेंस की सहायता से इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- उ0नि0 श्री मेवालाल, का0 श्रीप्रकाश, हो0गा0चा0 राकेश पाण्डेय।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 136 वाहनों से 1,68,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 26.06.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 136 वाहनों से 1,68,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।